



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25082023-248350  
CG-DL-E-25082023-248350

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1  
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 206]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 25, 2023/भाद्र 3, 1945

No. 206]

NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 25, 2023/BHADRA 3, 1945

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 25 अगस्त, 2023

सं. 29 / 2023

विषय: वर्ष 2023-24 (अक्टूबर 2023 से सितम्बर 2024 तक) हेतु टीआरक्यू के अंतर्गत भारत से निर्यात हेतु यूरोपीय संघ द्वारा 5841 मीट्रिक टन चीनी की मात्रा के आबंटन के संबंध में।

फा. सं. 01/91/180/879/एम08/ईसी/(खण्ड VIII)/ई-20749.—विदेश व्यापार नीति, 2023 के पैरा 2.04 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक, विदेश व्यापार एतद् द्वारा वर्ष 2023-24 (अक्टूबर 2023 से सितम्बर 2024 तक) हेतु टीआरक्यू के अंतर्गत भारत से यूरोपीय संघ को चीनी के निर्यात की 5841 मीट्रिक टन मात्रा का आबंटन करते हैं।

2. अधिसूचना सं. 3/2015-20, दिनांक 20.04.2015 के अनुसार, टीआरक्यू के अंतर्गत यूरोपीय संघ को चीनी (एचएस कोड 17010000) का निर्यात, उपरोक्त अधिसूचना में 'प्रतिबंधों के स्वरूप' में अधिसूचित शर्तों के अधीन "मुक्त" है।

3. यूरोपीय संघ को एपीडा की इकाई और मात्रा की पात्रता की सिफारिशों के आधार पर चीनी के तरजीही निर्यात हेतु उद्गम प्रमाण-पत्र, यदि अपेक्षित हो, अपरमहानिदेशक विदेश व्यापार, मुम्बई द्वारा जारी किया जाएगा। यूरोपीय संघ को चीनी के निर्यात हेतु विशिष्ट रूप से विनिर्दिष्ट प्रमाणन सम्बन्धी अन्य आवश्यकता, यदि कोई हो, का पालन जारी रहेगा।
4. यूरोपीय संघ को टीआरक्यू मदों के निर्यात हेतु कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादन निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा), नई दिल्ली द्वारा कोटा प्रचालित होगा।
5. अधिसूचना सं.20 दिनांक 07.09.2015 के साथ पठित अधिसूचना सं. 3/2015-2020, दिनांक 20.04.2015 द्वारा यथा अधिसूचित रिपोर्टिंग की शर्त का अनुपालन किया जाएगा।
6. इस सार्वजनिक सूचना का प्रभाव:  
वर्ष 2023-24 (अक्टूबर 2023 से सितम्बर 2024 तक) हेतु भारत से यूरोपीय संघ को निर्यात किए जाने के लिए 5841 मीट्रिक टन चीनी की मात्रा को अधिसूचित किया गया है।

संतोष कुमार सारंगी, महानिदेशक विदेश व्यापार एवं पदेन अपर सचिव

## MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(Director General of Foreign Trade)

### PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 25<sup>th</sup> August, 2023

No. 29/2023

**Subject: Allocation of quantity 5841 MT Sugar by EU for export from India under TRQ for the year 2023-24 (October 2023 to September 2024) - regarding**

**F. No. 01/91/180/879/AM08/EC/Vol. VIII/E-20749.**—In exercise of the powers conferred under Paragraphs 2.04 of the Foreign Trade Policy, 2023, the Director General of Foreign Trade hereby allocates quantity of 5841 MT for export of Sugar to EU from India under TRQ for the year 2023-24 (October 2023 to September 2024).

2. As per Notification No. 3/2015-20 dated 20.04.2015, export of sugar (HS Code 17010000) to EU under TRQ is 'Free' subject to the conditions notified in the 'Nature of Restrictions' in the above notification.
3. Certificate of Origin, if required, for preferential export of sugar to EU, shall be issued by Additional Director General of Foreign Trade, Mumbai on recommendation of APEDA regarding entity and quantity for which eligible. Other certification requirement, if any, prescribed specifically for export of sugar to EU would continue to be followed.
4. The quota will be operated by Agriculture and Processed Food Products Export Development Authority (APEDA), New Delhi as the implementing agency for export of TRQ items to EU.
5. The reporting requirement as notified vide Notification No. 3/2015-2020 dated 20.04.2015 read with Notification No. 20 dated 07.09.2015 would be followed.

#### 6. Effect of this Public Notice:

**The quantity of 5841 MT Sugar to be exported to EU from India under TRQ for the year 2023-24 (October 2023 to September 2024) has been notified.**

SANTOSH KUMAR SARANGI, Director General of Foreign Trade & Ex-officio Addl. Secy.